

प्राथना पत्र नाम्द अस्थायी निषेधाज्ञा  
 स्थल आईडी/नम्बर 2021

सुनवान

रसनीर सिंह पुत्र नवलसिंह जाति जाट विवासी खेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली  
 राजस्थान

—सायल

ननाम

किरण सभं प्रेम मति गोविन्द सिंह जाति जाट विवासी कुडगाँव तहसील करौली राजस्थान  
 —गैरसायलान 3

दिनांक फर्द आहकाम

11.2021 आज थह प्राथना पत्र सायल की ओर से श्री पुरुषोत्तम गौयल एडवोकेट  
 ने उपस्थित होकर पेश किया। प्राथना पत्र पर वकील सायल को एकतरफा  
 सुना गया। प्रकरण में विवादित आराजीयात के कब्जेकाशत में व्यवधान नहीं  
 करने, बेदखल नहीं करने, ब्यानामा नहीं करने व नामान्तरकरण नहीं  
 खोलने हेतु गैरसायलान को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी  
 आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः गैरसायलान को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से  
 पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरांनं 513, 200, 201,  
 539, 860, 540, 859, 541, 518, 408, 854, 551, 556, 181, 832, 631,  
 632, 634, 635 स्थित ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन में आगामी तिथी तक  
 रिकार्ड एवं भौके की गथास्थिति बनाये रखें। तलबी गैरसायलान को  
 रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश  
 नहीं होने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद  
 रजिस्टर्ड तलबी पत्रावली दिनांक 13.12.2021 को पेश हों।

(अभूप सिंह)  
 उप खण्ड अधिकारी  
 हिण्डौन जिला करौली

13/12/21

बहुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी...  
 प्रदारे है। गलतफुम... पेश हों।

21/3/22 पत्रावली सिंहा हरी सायल वकील उपस्थित।  
 उपरोक्त में सु. नं 444/2021 दस्त बखीर सिंह का  
 किशन उर्फ ब्रह्म सिंह दि. 31-1-2022 के सखी रामा की  
 साधारण पर दावा सिद्ध किया जा चुका है प्रकरण  
 में दावा सिद्ध किया जा चुका है दावा केवल ही  
 माने के कारण प्रकरण अस्थायी निषेधाज्ञा सु. नं  
 387/2021 5-5 बखीर का नाम किशन वकील योग्य नहीं है।  
 सु. नं- प्रकरण समाप्त किया जा रहा है पत्रावली केवल सुमार केकर  
 वाकर से भेजा है। उपखण्ड अधिकारी  
 हिण्डौन सिटी ( करौली )

